दिनांक	न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी प्रकरण संख्या :– बनाम	रिमार्क
10/5/25	वादी उपस्थित/~~अनुपस्थित।~~ वादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। प्रतिवादी उपस्थित/अनुपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी अभिभाषक ने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर नोट प्रेस किया/विड्रो किया/खारिज करने का निवेदन किया गया। उक्त आधारों पर बाद/प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सदस्य बैच संख्या –3 रा.लोक अ. केम्प लोहावट अध्यक्ष बैच संख्या –3 रा.लोक अ. केम्प लोहावट	

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलेक्टर कोर्ट,

लोहावट

राजस्व वाद संख्या 100 /2023

वादीगण

1. मनफुलराम पुत्र लालाराम
2. हिम्मताराम पुत्र लालाराम
3. हड़मानराम पुत्र लालाराम
4. सन्तोषराम पुत्र लालाराम
5. प्रभूराम पुत्र लालाराम
   नाबालिग जरिये कुदरती
   वलिया माता कमला पत्नी
   लालाराम
6. दीपाराम पुत्र पुरखाराम
7. नरुराम पुत्र पुरखाराम
8. जसुराम पुत्र पुरखाराम
9. भोमाराम पुत्र पुरखाराम
10. छोटुराम पुत्र पुरखाराम
    नाबालिग जरिये कुदरती
    वलिया माता संन्तु पत्नी
    पुरखाराम

सभी जाति – कुम्हार
निवासी – सन्तोकनगर ईशरु
तहसील – बापिणी
जिला – जोधपुर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. लालाराम पुत्र बगताराम
2. पुरखाराम पुत्र बगताराम
3. केसर पुत्री बगताराम
4. दीपाराम पुत्र धुड़ी
5. नकू पुत्री बगताराम
   जाति – कुम्हार
6. नकाराम पुत्र मगाराम
7. बदराराम पुत्र मगाराम
8. मदनलाल पुत्र मगाराम
9. मोहनराम पुत्र मगाराम
   जाति – कुम्हार (प्रजापति)
   निवासी – सन्तोकनगर ईशरु
   तहसील – बापिणी
   जिला – जोधपुर राजस्थान
10. अनोपसिंह पुत्र किशोरसिंह
    जाति – राजपुत
    निवासी – सन्तोकनगर ईशरु
    तहसील – बापिणी
    जिला – जोधपुर राजस्थान
11. मांगुकवर पत्नी रेवंतसिंह
    जाति – राजपुत
    निवासी – करणीनगर ईशरु
    तहसील – बापिणी
    जिला – जोधपुर राजस्थान

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मान्यवर,

दावा वादीगण दो प्रतियो में निम्न लिखित पेश है :—

1. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 25/1 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 44/1 रकबा 5.9003 हैक्टेयर सरहद मौजा ग्राम सन्तोकनगर पटवार हल्का ईशरु तहसील बापिणी की सहरद में स्थित है।

2. यह कि उक्त भूमि हिन्दु सहदायकी परिवार की पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उनके पूर्वजो से विरासत में प्राप्त हुई है वादीगण संख्या 1 ता 5 प्रतिवादी संख्या 1 की व वादीगण संख्या 6 ता 10 प्रतिवादी संख्या 2 की जाईन्दा संतान है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज खसरा नम्बर 25/1 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44/1 रकबा 5.9003 हैक्टेयर भूमि में 1/7—1/7वा हिस्से की उक्त हिन्दु सहदायकी परिवार की पैतृक भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बारह हो का कानुनन बहिस्सा बराबर हिस्सा है इसी अनुसार ही बारह हो प्रत्येक का 1/42 —1/42 हिस्से की उक्त पैतृक भूमि पर कब्जा मौके पर आज दिन तक लगातार शांतिपुर्वक चला आ रहा है। वादीगण प्रत्येक की 1/42 – 1/42 हिस्से के अपने अपने हिस्से की उक्त पैतृक भूमि में मौके पर रहवासी ढाणीया बनी हुई है जिसमें वह अपने बाल बच्चो परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है और 1/42—1/42 हिस्से के अलग—अलग हिस्से की भूमि पर आज दिन तक हर वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग तथा उपभोग लेते आ रहे है। इस वर्ष भी वादीगण ने अपने – अपने हिस्से की भूमि में बाजरी, ग्वार, मुंग की काश्त कर अवैर की है।

3. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 सभी आपस में एक ही हिन्दु परिवार के पिता–पुत्र व सगे भाई है उन्होने 1/42–1/42 हिस्से की प्रत्येक की भूमि में चले आ रहे प्रत्येक के शांतिपुर्वक कब्जा काश्त में आज दिन तक किसी ने किसी प्रकार की दखलदांजी नही की, वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त पैतृक सम्पति के राजस्व रेकर्ड में अपना–अपना नाम दर्ज करवाने का कई बार कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 टालमटोल करते रहे। लेकिन अभी दिनांक 13.04.2023 को अन्तिम बार कहा तो वे इन्कार हो गये इसलिये यह दावा पेश करने की आवश्यकता पड़ी। उक्त भूमि पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उनके पूर्वजो से विरासत में प्राप्त हुई है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जाईन्दा पुत्र है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 1/7–1/7 हिस्से की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बारह हो का प्रत्येक का बराबर–बराबर 1/42–1/42 हिस्सा है वादीगण इसी अनुसार ही उक्त भूमि अपनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी घोषित करवाने के व शेष वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 3 से 11 की घोषित करवाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।
4. यह कि प्रतिवादी संख्या 3 से 11 सहखातेदार है इसलिये उन्हे पक्षकार बनाया गया है ।
5. यह कि व्यवहारणकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अकेलो को 1/7–1/7 हिस्से की उक्त हिन्दु सहदायकी परिवार की पैतृक भूमि विरासत में प्राप्त हुई तथा अभी दिनांक 13.04.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त हिन्दु सहदायकी परिवार की पैतृक सम्पति से वादीगण के नाम दर्ज करवाने से इन्कार हुवे तब बमुकाम ग्राम

संतोकनगर पटवार हल्का ईशरु तहसील बापिणी में पैदा होता है जो अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र व विचाराधिकार प्राप्त है।

6. यह कि आवश्यक कोर्ट फिस का स्टाम्प अलावा तलबाना के मुर्करा 2 रुपये का पेश है।

7. यह है कि इस्तदुआ वादीगण यह है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न डिक्री सादिर फरमाई जावे।

01. कि खसरा नम्बर 25/1 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44/1 रकबा 5.9003 हैक्टेयर सरहद मौजा संतोकनगर पटवार हल्का ईशरु में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 1/7 –1/7 हिस्से की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बारह हो की खातेदारी की बहिस्सा बराबर अनुसार अर्थात प्रत्येक की 1/42–1/42 हिस्से अनुसार व शेष वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 3 से 11 की घोषित की जाकर इसी अनुसार ही प्रत्येक के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश फरमावे।

02. यह कि इस वाद का खर्चा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से दिलवाया जावे तथा अन्य आज्ञा जो दावा की रुह से वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध हो अता फरमाई जावे।

मनफुल - हिम्मताराम पीपाराम नरसाराम परसु

तस्दीक :– हम वादीगण शपथपुर्वक तस्दीक करते है कि इस वाद का फिकरा नम्बर 1 से 5 हमारे निजी ज्ञान से सही व सत्य है फिकरा नम्बर 7 व 7 कानुनी है जो हमे हमारे अधिवक्ता द्वारा मिली जानकारी अनुसार हमारे विश्वास से सही व सत्य है फिकरा नम्बर 8 इस्तदुआ का है जो सही है। सत्य कथन के लिये ईश्वर हमारी मदद करे।

हनुमानाराम सन्तोश